

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 9-5/2012/नियम/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक ९ मार्च, 2013

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कमिश्नर
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश ।

विषय- नवीन परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की नक्सली आपरेशन में, अपराधियों/असामाजिक तत्वों के साथ निपटने में अथवा कानून व्यवस्था के दौरान मृत होने वाले पुलिस कर्मचारी को राहत ।

---●---

राज्य शासन द्वारा दिनांक 1-1-2005 अथवा उसके पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू की गयी है । राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि दिनांक 1-1-2005 अथवा उसके पश्चात् नियुक्त होने वाले पुलिस वर्ग के कर्मचारियों को, शासकीय कर्तव्य निर्वहन के दौरान मृत होने की स्थिति में, अनन्तिम आधार पर, मध्यप्रदेश (पुलिस कर्मचारी वर्ग-असाधारण परिवार निवृत्ति वेतन) नियम 1965 के अंतर्गत सहायता स्वीकृत की जा सकेगी ।

4/ यह आदेश उन कर्मचारियों पर लागू होंगे, जिन्होंने 1-1-2005 या उसके पश्चात् शासकीय सेवा में प्रवेश किया है तथा नवीन परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के सतत् सदस्य हैं ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(मनीष रस्तोगी)

सचिव


मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

PTO

प्रतिरूप:-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/(ऑडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कृषि एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कृषि, लेखा एवं पशु मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाखा, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष 2, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी
25. गाड फाईल

यहां और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही के लिये अग्रिम ।


सचिव, मध्य प्रदेश शासन,
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, विधान सभा